

स्वापक औषध तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के खंड 36 सी में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वाराणसी न्यायालय में स्वापक औषध तथा मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन मामलों को संचालित करने के लिए श्री आर.एस. सिंह, अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को 13-4-96 में आगे तीन वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर बढ़ाती है :-

3. अप्रभावपूर्ण मुनवारी के लिए 200 रु. प्रति मामला
4. लिखित राय 200 रु. प्रति मामला
5. सम्मेलन प्रसार प्रति मामला अधिक में अधिक तीन सम्मेलनों पर 150 रु. प्रति सम्मेलन

1. देय शुल्क :

उनकी नियुक्ति पर पहले से ही लागू अन्य नियम व शर्तें जारी रहेंगी।

1. शिकायत के ड्राफ्ट के लिए शुल्क 150 रु. प्रति मामला
2. प्रभावपूर्ण मुनवारी के लिए शुल्क 350 रु. प्रति मामला
एक से अधिक मामलों के लिए 500 रु. प्रति दिन

[फा. सं. IV/7/95-एन सी बी (विधि)]

एम.सी. मेहनाथन, उप विधि सलाहकार

(Department of Revenue)

NARCOTICS CONTROL BUREAU

New Delhi, the 10th December, 1996

G.S.P. 581 :- In exercise of the powers conferred by Sub-sections (2) and (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Section 36C of the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Central Govt. hereby extends the appointment of Shri R.S. Singh, Advocate as Special Public Prosecutor for conducting cases arising out of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 in the courts at Varanasi for a further period of three years with effect from 13-4-96 on the following terms :-

1. FEES PAYABLE :

1. Fees for drafting complaint Rs. 150/- per case.
2. Fees for effective hearing Rs. 350/- per case.
Rs. 500/- per day for more than one case.
3. Fees for non-effective hearing Rs. 200/- per case.
4. Written Opinion Rs. 200/- per case.
5. Conference charges Rs. 150/- per conference subject to a maximum of three conferences per case.

Other terms and conditions applicable to his appointment earlier will continue to apply.

[F.No. IV/7/95-NCB (Legal)]

M.C. MEHANATHAN, Dy. Legal Adviser

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(केन्द्रीय वायलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1996

सा. का. नि. 582.--भारतीय वायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अंशानुसार, भारतीय वायलर अधिनियम, 1950 में आर संशोधन करी के लिए तारीख 15 जून, 1996 के भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में पृष्ठ 1101 से 1107 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (केन्द्रीय वायलर बोर्ड) की तारीख 31 मई, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 219 में कतिपय प्रारूप अधिनियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी इस अधिसूचना के राजपत्र की जनता को उपलब्धता की तिथि से पचास दिन तक आशेष और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां आज जनता को 2 जुलाई, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी।

प्रार किसी व्यक्ति से कोई आदेश या सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः अब भारतीय बाँयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बाँयलर बोर्ड भारतीय बाँयलर विनियम 1950 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को इंडियन बाँयलर (सुतीय संशोधन) रूगुलेशन, 1996 कहा जायेगा।

(2) यह भाग के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

2. इंडियन बाँयलर रूगुलेशन, 1950 (जिन्हें तत्पश्चात् उक्त रूगुलेशन कहा जायेगा) में, रूगुलेशन 4 में,

(अ) उप रूगुलेशन (सी) में, क्लॉज (4) में, पैराग्राफ 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“अग्रेषण शर्त यह है कि केन्द्रीय बाँयलर बोर्ड से रूगुलेशन 4ए में 4एच के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त धैल नोन स्टील मेकर द्वारा बनाये व जाँच किये गये इस्पात के विषय में, धैल नोन स्टील मेकर द्वारा फार्म 4ए में दिया गया प्रमाण-पत्र, इंस्पेक्शन अथॉरटी के प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार्य होगा,

जहाँ यह भी है कि केन्द्रीय बाँयलर बोर्ड से रूगुलेशन 4ए में 4एच के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त धैल नोन ट्यूब/पाइप मेकर द्वारा बनाई गई ट्यूबों/पाइपों के विषय में, धैल नोन ट्यूब/पाइप मेकर द्वारा फार्म III की या III ई, जैसा भी लागू हो, में दिया गया प्रमाण-पत्र इंस्पेक्शन अथॉरटी के प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वीकार्य होगा।”

(ख) उप रूगुलेशन (जी) में, टिप्पण 2 के बाद, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

“टिप्पण 3—फार्म III सी में प्रमाण-पत्र की फोटोस्टैट प्रति स्वीकार्य होगी बशर्ते कि इसे निम्नलिखित या इंस्पेक्शन अथॉरटी द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो।”

3. उक्त रूगुलेशन में, फार्म III सी में, इन शब्दों में कुछ होने वाले पैराग्राफ “यद्यपि डिजाइन किया गया है”, व इन शब्दों के समान “जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं” के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“अवयव को इंडियन बाँयलर रूगुलेशन के अन्तर्गत—-----प्रचालन दबाव पर काम करने हेतु डिजाइन किया गया व बनाया गया है और इसने पानी, मिट्टी का तेल या अन्य उपर्युक्त द्रव का प्रयोग करते हुए हमारे (जन्मदाता) प्रतिनिधि, जिसके हस्ताक्षर नीचे दिये हुए हैं, के सामने 19-----के-----मास के-----दिन को-----दबाव को अंतोष-जनक रूप से सहन किया है।”

4. उक्त रूगुलेशन में, फार्म III सी के पश्चात् निम्नलिखित फार्म जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

“फार्म III डी

निर्माण तथा परीक्षण का प्रमाण-पत्र

[रूगुलेशन 4(सी)]

प्रमाण-पत्र संख्या-----

निर्माण की तिथि-----

अवयव का नाम-----

निर्माता का नाम व पता-----

निर्माण का कोड/स्पैसिफिकेशन-----

द्रव्य

हीट संख्या-----

निर्माण की विधि-----

पूर्ण किल्ट/रिमड/अर्ध किल्ट-----

रसायनिक रचना-----

पाईप

मुख्य भाग-----

गुंजाइशें-----

निर्माण की विधि-----

पहचान चिह्न-----

बैन्ड टेस्ट-----
 बैन्ड पर बैन्ड टेस्ट-----
 फ्लेयर टेस्ट-----
 फ्लेनिंग टेस्ट-----
 ड्रिफ्ट टेस्ट-----
 टेन्साइल टेस्ट-----
 क्रशिंग टेस्ट-----
 हीट ट्रीटमेंट-----
 फ्लेज टेस्ट-----
 अंतिम हाइड्रोलिक टेस्ट-----
 नान डेस्ट्रक्टिव जांच-----

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये विवरण सही है।

अवयव को हमारे ऊपर दिये गये कारखाने पर इंडियन वायलर रैगुलेशन के अनुरूप बनाया गया और IS-----के मास के-----बिन को, हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि, जिमके हस्ताक्षर नीचे दिये हैं, की उपस्थिति में-----दयाव पर जल टेस्ट संतोषजनक रूप से रहा।

निर्माता का प्रतिनिधि
 (नाम व हस्ताक्षर)

निर्माता

टिप्पण:—भारत या अन्य देशों में वैल नोन स्टील मेकर द्वारा बनाये व प्रमाणित किये गये स्टील में बने पाइपों के विषय में, द्रव्य के उनके द्वारा प्रमाणित विवरण को उपयुक्त प्रकोष्ठों या पैराग्राफों में दिया जायेगा।

फार्म 3 ई

(निर्माण व जांच का प्रमाण-पत्र)

[रैगुलेशन 4(सी)]

निर्माता का नाम-----
 निर्माण का कोड/स्पैसिफिकेशन-----
 द्रव्य-----

निर्माण की विधि-----

पूर्ण किलड/रिमड/अर्ध किलड-----
 रसायनिक रचना-----
 टयूब-----
 निर्माण की विधि-----
 मुख्य माप-----
 गुंजाइश-----
 टेन्साइल स्ट्रेंथ-----
 इलायेशन प्रतिशत-----
 बैन्ड टेस्ट-----
 फ्लैटनिंग टेस्ट-----
 क्रशिंग टेस्ट-----
 फ्लेयर टेस्ट-----
 फ्लेज टेस्ट-----
 बैन्ड पर बैन्ड टेस्ट-----
 बलजिंग टेस्ट व ड्रिफ्टिंग टेस्ट-----
 (तांबा व पीतल के लिये)-----
 हीट ट्रीटमेंट-----
 हाइड्रोलिक टेस्ट-----
 नान डेस्ट्रक्टिव टेस्ट-----

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिया गया विवरण सही है।

ट्यूबें हमारे ऊपर दिये गये कारखाने में इंडियन वॉयलर रैगुलेशन के अनुरूप बनाई गई हैं और इन्होंने हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गये हैं की उपस्थिति में 19-----के-----मास के-----दिन को-----दवाब पर जल टेस्ट संपादनक रूप से सहा।

निर्माता

निर्माता का प्रतिनिधि

(नाम व हस्ताक्षर)

टिप्पणी:—भारत का अन्य देशों में बेल नॉन स्टील मेकर द्वारा बनाये व प्रमाणित किये गये स्टील से बने ट्यूबों के विषय में, द्रव्य के उनके द्वारा प्रमाणित विवरण की इस प्रमाण-पत्र के उपयुक्त प्रयोगों या परीक्षाओं में दिया जायेगा।

5. उक्त रैगुलेशन में, फार्म 4ए के स्थान पर, निम्नलिखित फार्म प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“फार्म 4ए”

फार्म 1 के स्थान पर निर्माण व जांच के परिणामों का प्रमाण-पत्र।

[रैगुलेशन 4(सी)]

एनड्रॉग यह प्रमाणित किया जाता है कि इस्पात निर्माता के मूल प्रमाण-पत्र में, वॉयलर या उसके अवयव के निर्माण से प्रयुक्त द्रव्य के विषय में निम्नलिखित जानकारी दी हुई है व जिसका निर्माता का क्रमांक-----नमूना-----है व इंडिंग नम्बर-----के अनुसार बनाया गया है:

वॉयलर का अवयव	भाषा	कास्ट/हीट प्लेट संख्या	संख्या	इस्पात निर्माण विधि	मानक
डीऑक्सीडेशन		इस्पात निर्माता/ अवयव निर्माता का नाम	टेस्ट पीस क्रमांक	प्रमाण-पत्र क्रमांक व तिथि	लम्बाई चीड़ाई बाह्य व्यास मोटाई
हीट ट्रीटमेंट		रसायनिक विघ्लेपण कार्बन मैग्नीज फास्फोरस गन्धक सिलिकान अन्य ऐलीमैन्ट			
वील्ड स्ट्रेंथ (कि. ग्रा./मि.मी. ²)		यू.टी.एस (कि.ग्रा./मि.मी. ²)	इलागेशन प्रतिशत गेज लम्बाई	बैन्ड टेस्ट	टिप्पणी

संश्लेषी मुहर

इन्सपेक्टिंग अथॉर्टी”

[मिसिल सं. 6(5)/95-वॉयलर]

बी.के. गोयल, सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल विनियम एस.आर.ओ. संख्या 600 दिनांक 15 सितम्बर, 1950 में केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये थे व अन्तिम बार निम्नलिखित अधिसूचना से संशोधित किये गये थे:

- (1) सा.का.नि. संख्या 178 दिनांक 24 मार्च, 1990
- (2) सा.का.नि. संख्या 179 दिनांक 24 मार्च, 1990
- (3) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 अक्टूबर, 1993
- (4) सा.का.नि. संख्या 516 दिनांक 23 अक्टूबर, 1993
- (5) सा.का.नि. संख्या 634 दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
- (6) सा.का.नि. संख्या 107 दिनांक 26 फरवरी, 1994
(शुद्धि-पत्र सा.का.नि. संख्या 223 दिनांक 14 मई, 1994)

- (7) सा.का.नि. संख्या 250 दिनांक 4 जून, 1994
 (8) सा.का.नि. संख्या 402 दिनांक 12 अगस्त, 1994
 (9) सा.का.नि. संख्या 427 दिनांक 20 अगस्त, 1994
 (10) सा.का.नि. संख्या 562 दिनांक 12 नवम्बर, 1994
 (11) सा.का.नि. संख्या 607 दिनांक 10 दिसम्बर, 1994
 (12) सा.का.नि. संख्या 83 दिनांक 25 फरवरी, 1995
 (13) सा.का.नि. संख्या 93 दिनांक 4 मार्च, 1995
 (14) सा.का.नि. संख्या 488 दिनांक 9 नवम्बर, 1996

MINISTRY OF INDUSTRY
 (Department of Industrial Development)
 (Central Boilers Board)

New Delhi, the 13th December, 1996

G.S.R. 582.—Whereas certain draft regulations, further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, were published as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923(5 of 1923) at pages 1101 to 1107 of the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (i), dated the 15th June, 1996 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) (Central Boilers Board) No. GSR 249, dated the 31st May, 1996 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 2nd day of July, 1996;

And whereas no objections or suggestions have been received,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Third Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950 (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 4,

(i) in sub-regulation (c), in clause (iv), for paragraphs 3, the following shall be substituted, namely :—

“Provided further that in respect of the steel made and tested by Well-Known Steel Makers recognised by the Central Boilers Board in the manner laid down in regulations 4A to 4H, a certificate of Well-Known Steel Maker in form (IV A shall be accepted in lieu of a certificate from an Inspecting Authority :

Provided also that in respect of the tubes/pipes made and tested by well known tube/pipe maker recognised by the Central Boilers Board in the manner as laid down in regulations 4A to 4I, a certificate of manufacture and test of well known tube/pipe maker in form III D or III E, as the case may be, shall be accepted in lieu of a certificate from an Inspecting Authority:”

(ii) in sub-regulation (g), after Note 2, the following note shall be inserted, namely :—

“Note 3. Photostat copy of the certificate in Form III C shall be accepted provided it is endorsed by the manufacturer or the Inspecting Authority.”

3. In the said regulations, in Form IIC, for paragraph beginning with the words, “The part has been designed” and ending with the words, “whose signature is appended hereunder”, the following paragraph shall be substituted, namely :—

“The part has been designed and constructed to comply with the Indian Boiler Regulations for a working pressure of, and satisfactorily withstood a hydraulic test using water or kerosene or any other suitable liquid to a pressure of, on the day of, 19 in the presence of our responsible representative whose signature is appended hereunder.”

4. In the said regulations, after Form IIC, the following forms shall be inserted, namely :—

“FORM III D”

Certificate of Manufacture and test

[Regulation 4(c)]

Certificate No.
 Date of Manufacture.....
 Name of Part.....
 Maker's Name and address.....
 Code of Manufacture/Specifications.....
 Material.....
 Heat No.....
 Process of manufacture.....
 Fully killed/rimmed/semi killed.....
 Chemical composition.....

Pipes

Main dimensions.....
 Tolerances.....
 Mode of manufacture.....
 Identification marks.....
 Bend Test.....
 Bend test on weld.....
 Flare test.....
 Flattening test.....
 Drift test.....
 Tensile strength.....
 Crushing test.....
 Heat treatment.....
 Flange test.....
 Final hydraulic test.....
 Non-destructive examination.....

Certified that the particulars entered herein are correct.

The part has been manufactured to comply with the Indian Boiler Regulations at our works above named and satisfactorily withstood a water test of..... on the..... day of..... 19..... in the presence of our responsible representative whose signature is appended hereunder.

Maker's Representative.....

(Name and signature)

Maker.....

Note :— In the case of pipes made from steel, made and certified by Well-known Steel Makers in India or other countries, particulars regarding the 'material' as certified by them (in any form) shall be noted in the appropriate columns or paragraphs in this certificate.

FORM III E

(Certificate of manufacture and test)

[Regulation 4(f)]

Maker's Name.....
 Code of Manufacture/Specifications.....

Material

Heat No.....
 Process of Manufacture.....
 Fully killed/rimmed/semi killed.....
 Chemical composition.....

Tubes

Process of manufacture.....
 Main dimensions.....
 Tolerances.....
 Tensile strength.....
 Elongation percentage.....
 Bend test.....
 Flattening test.....
 Crushing test.....
 Flare test.....
 Flange test.....
 Bond test on weld.....
 Bulging test and drifting test
 (for copper and brass).....
 Heat treatment.....
 Hydraulic test.....
 Non-destructive examination.....

Certified that the particulars entered herein are correct.

The Tubes have been manufactured to comply with the Indian Boiler Regulation at our works above named and satisfactorily withstood a water test of..... on the..... day of..... 19..... in the presence of our responsible representative whose signature is appended hereunder.

Maker's Representative.....

(Name and signature)

Maker.....

Note :— In the case of tubes made from steel, made and certified by the Well-known Steel Makers in India or other countries, particulars regarding the 'material' as certified by them (if any form) shall be noted in the appropriate columns or paragraphs in this certificate.

5. In the said regulations, for Form IV A, the following shall be substituted, namely :—

"FORM IV A"
CERTIFICATE OF MANUFACTURE AND RESULTS OF TESTS
IN LIEU OF FORM IV
 [Regulation 4(c) (iv)]

It is hereby certified that original steel Maker's certificate in Form IV contain following information in respect of the material used in the manufacture of the boiler or parts thereof bearing Makers Number : Sample and according to Drawing Number :

Part of Boiler	Quantity	Cast/Heat No. Plate No.	Steel Making Process	Specification	Deoxidation
1	2	3	4	5	6

Name of Steel Maker/Part Maker	Test Price No.	Certificate No. & Date	Length Breadth/O.D. Thickness	Heat Treatment
1	2	3	4	5

% Chemical Analysis C Mn P S Si other alloy- ing elements	Y.S. (Kg/mm ²)	U.T.S. (Kg/mm ²)	Elongation %G.L.	Bend Test Remarks
1	2	3	4	5

Official Seal

Inspecting Authority

[File No. 6(5)/95-Boilers]
 V.K. GOEL, Secy.

Footnote : — The Principal regulations were published in the Gazette of India as S.R.O. No. 600 dated 15th September, 1950 and last amended vide Gazette notifications numbers --

- (i) GSR 178 dated 24th March, 1990
- (ii) GSR 179 dated 24th March, 1990
- (iii) GSR 488 dated 9th October, 1993
- (iv) GSR 516 dated 23rd October, 1993
- (v) GSR 634 dated 25th December, 1993
- (vi) GSR 107 dated 26th February, 1994
- (vii) GSR 223 dated 14th May, 1994
- (viii) GSR 250 dated 4th June, 1994
- (ix) GSR 402 dated 12th August, 1994
- (x) GSR 427 dated 20th August, 1994
- (xi) GSR 562 dated 12th November, 1994
- (xii) GSR 607 dated 10th December, 1994
- (xiii) GSR 83 dated 25th February, 1995
- (xiv) GSR 93 dated 4th March, 1995
- (xv) GSR 488 dated 9th November, 1996